न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़
पीठासीन अधिकारीः– चन्द्रशेखर भण्डारी, RAS

प्रकरण सं. 186/2019 प्रार्थना पत्र

डालचन्द उर्फ लालचन्द पिता नन्दलाल जाट, आयु 64 साल, निवासी जाटों का मोहल्ला, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़।

– प्रार्थी

//बनाम//

राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तोडगढ़।

– विपक्षी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा. भू राज.अधि.</u>

<u>श्री ओमप्रकाश धाकड़, अधिवक्ता प्रार्थी, उपस्थित</u>

निर्णय दिनांक 16.09.2020

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया की प्रार्थी के स्वामित्व व आधिपत्य की वाके मौजा निम्बाहेड़ा पटवार हल्का निम्बाहेड़ा–ए की खाता संख्या 465 की आराजी नं. 377 रकबा 2. 0500 हैक्टेयर भूमि स्थित है। यह भूमि प्रार्थी की खातेदारी की पुश्तैनी आराजीयात है। उक्त आराजीयात में राजस्व कर्मचारियों की गलती से प्रार्थी का नाम लालचन्द पिता नन्दलाल जाट के बजाय डालचन्द पिता नन्दलाल जाट अंकित हो गया है जबकि अन्य सभी दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम लालचन्द अंकित है। राजस्व रेकार्ड में गलत नाम अंकित होने से प्रार्थी को बहुत कठीनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे तथा राजस्व रेकार्ड में संशोधन करते हुए प्रार्थी का नाम डालचन्द के बजाय लाल चन्द अंकित किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी ने न्यायालय में उपस्थित होकर प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया तथा प्रार्थी का सही नाम लालचन्द पिता नन्दलाल जाट होना बताते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की अनुशंषा की है।

बहस सुनी गई। मिसल का अवलोकन करते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रार्थी ने नन्दलाल के चारों पुत्रों के शपथ पत्र, बैक ऑफ बडोदा के बचत खाते की पास बुक की छायाप्रति, लालचन्द के नाम जारी राशनकार्ड की छायाप्रति, नकल जमाबन्दी सवत 2070–75 ग्राम निम्बाहेड़ा पटवार हल्का निम्बाहेड़ा–ए की खाता संख्या 465 की प्रमाणित प्रति, आधार कार्ड, वोटर आई डी, मतदाता सूची आदि की प्रतियां प्रस्तुत की है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत

Signature Not Verified
Digitally signed by Chandra Shekhar Bhandari
Date: 2021.03.17 17:26:39 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सभी दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम लालचन्द पिता नन्दलाल जाट अंकित है। वर्तमान राजस्व रेकार्ड में डालचन्द दर्ज है। प्रार्थी के सभी भाईयों ने भी शपथ पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी का नाम लालचन्द होना स्वीकार किया है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा द्वारा अपनी रिपोर्ट में भी प्रार्थी का नाम लालचन्द दर्ज किये जाने की अनुशंषा की है। धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1955 के प्रावधानों में स्पष्ट है कि

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रश्नगत आराजी मौजा निम्बाहेड़ा पटवार हल्का निम्बाहेड़ा–ए की खाता संख्या 465 की आराजी नं. 377 रकबा 2.0500 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी का नाम डालचन्द पिता नन्दलाल जाट के बजाय लालचन्द पिता नन्दलाल जाट दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। उपर्युक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आज दिनांक 16.09.2020 को सरे इजलास सुनाया जाकर कम्प्युटराईज कराया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Chandra Shekhar Bhandari
Date: 2021.03.17 17:26:39 IST
Reason: SelfAttested